न्यायालय सिविल जज(सी.डी.),जौनपुर।

उत्तराधिकार वाद संख्या–48 / 2022

हीरालाल बनाम गीता देवी व अन्य।

14.07.2023

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। सायल द्वारा प्रार्थना–पत्र 25क प्रस्तुत करते हुए उसका निस्तारण आज ही किये जाने की याचना की गयी। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना–पत्र 25क पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना–पत्र 25क का निस्तारण

सायल द्वारा प्रार्थना–पत्र 25क मय शपथ–पत्र 26ग उत्तराधिकार प्रार्थना–पत्र 4ग के शिड्यूल बी में अंकित धनराशि को स्टेटमेंट के अनुसार संशोधित करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है और याचना की गयी कि प्रार्थना–पत्र 4ग के शिड्यूल बी में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाये।

विपक्षी पक्ष की ओर से कोई आपत्ति न होने का कथन किया गया।

सायल अपने उत्तराधिकार प्रार्थना–पत्र के शिड्यूल बी में वर्णित धनराशि को स्टेटमेंट के अनुसार संशोधित करना चाहता है। उक्त संशोधन से किसी पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नही पड़ता है। उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायालय के मत में प्रार्थना–पत्र 25क स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

सायल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 25क स्वीकार किया जाता है। सायल अपने प्रार्थना–पत्र में दर्शित किये अनुसार संशोधन उत्तराधिकार प्रार्थना–पत्र में नियत दिनांक के पूर्व अक्षरतः करना सुनिश्चित करे। पत्रावली उत्तराधिकार प्रार्थना–पत्र 4ग पर सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.2023 को पेश हो।

(ज्योति अग्रवाल)
सिविल जज(सी.डी.)जौनपुर।

Digitally signed by Jyoti Agarwal
Date: 2023.07.14 15:10:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court jaunpur